उत्तराखण्ड राज्य बुनियादि ढांचा विकास निगम द्वारा नैनी–सैनी हवाई अड्डे के रनवे का विस्तारण एवं सुदृढीकरण एवं सम्बन्धित कार्यचालन बुनयादि ढांचा तथा टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण के लिए नैनी–सैनी जनपद पिथौरागढ में दिनांक 18.02.2013 को आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवृत्त।

उत्तराखण्ड राज्य बुनियादी ढांचा विकास निगम द्वारा नैनी–सैनी हवाई अड्डे के रनवे का विस्तारण एवं सुदृढीकरण एवं सम्बन्धित कार्यचालन बुनियादी ढांचा तथा टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण हेतु प्रस्ताव उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। उक्त प्रस्ताव उत्तराखण्ड राज्य बुनियादी ढांचा विकास निगम द्वारा नैनी–सैनी हवाई अड्डे के रनवे का विस्तारण एवं सुदृढीकरण एवं सम्बन्धित कार्यचालन बुनियादी ढांचा तथा टर्मिनल सुविधाओं के निर्माण ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 यथा संशोधित 2009 के अन्तर्गत है। अतः प्रस्ताव को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक है।

उक्त के अनुकम में बोर्ड मुख्यालय, देहरादून से लोक सुनवाई हेतु दैनिक सामाचार पत्र दैनिक जागरण में दिनांक 15.01.2013 व हिन्दुस्तान टाईम्स में दिनांक 16.01.2013 को सूचना प्रकाशित की गयी थी। उक्त कम में क्षेत्रीय कार्यालय, हल्द्वानी द्वारा लोक सुनवाई से सम्बन्धित परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपलब्ध कराये परियोजना से सम्बन्धित ई.आई.ए. रिपोट व सारांश अभिलेख जन सामान्य के अवलोकनार्थ एवं आपत्तियों हेतु जिलाधिकारी, कार्यालय, पिथौरागढ, जिला पंचायत अधिकारी, पिथौरागढ, जिला उद्योग केन्द्र, पिथौरागढ, क्षेत्रीय कार्यालय निदेशक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, लखनऊ, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका पिथौरागढ, तथा खण्ड विकास अधिकारी पिथौरागढ को पत्र वाहक के माध्यम से प्राप्त करा दी गयी थी।

उपरोक्त अनुकम में आज दिनांक 18.02.2013 को हाईस्कूल मैदान में ग्राम–नैनी, ब्लॉक–बिण जनपद–पिथौरागढ मे लोक सुनवाई आहूत की गयी। लोक सुनवाई की अध्यक्षता श्री बी.एल.राणा, अपर जिलाधिकारी पिथौरागढ द्वारा की गयी। लोक सुनवाई प्रारम्भ की अनुमति श्री पी.के.जोशी क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हल्द्वानी द्वारा अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा ली गयी। तदोपरान्त क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम के कन्सलटेन्ट डॉ0 अखिलेश रंजन से प्रस्तुतीकरण हेतु कहा गया।

प्रस्तुतीकरण में डॉ0 रंजन द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय प्रभाव पर प्रकाश डाला एवं हवाई अड्डे के रनवे के निर्माण से होने वाली लाभ व हानि के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया गया। प्रस्तुतीकरण में डॉ रंजन द्वारा बताया गया कि इस हवाई अड्डे पर ए.टी.आर–42 टाईप के हवाई जहाज का प्रयोग किया जायेगा। उक्त हवाई जहाज के उडान भरते समय व लैडिंग करते से समय पाइलट द्वारा एक ईजंन का प्रयोग किया जायेगा। इस प्रकार के विमान एवं टैक्नालॉजी के प्रयोग से लगभग 40 प्रतिषत ध्वनि तीव्रता एवं कम्पन्न में कमी आयेगी।

तद्पश्चात अपर जिलाधिकारी द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित जनता/जनप्रतिनिधियों से अपने विचार रखने को कहा।

उपस्थिति जनता/जनप्रतिनिधियों में से निम्न लोगों ने अपने विचार रखे–

1. **श्री रमेश कन्सयाल, ग्राम–सेनी, द्वारा** अवगत कराया गया कि हवाई जहाज के उडान भरने व लैडिंग के समय आस–पास के घरों में अत्याधिक ध्वनि प्रदूषण एवं कम्पन्न होता है। उन्होने सुझाव दिया कि प्रभावित घरों के अन्यत्र विस्थापित किया जाय।
2. **श्री गणेष भण्डारी, ग्राम–कन्याली, द्वारा** कहा गया कि इस लोकसुनवाई हेतु प्रकाशित विज्ञापन के बारे स्थानीय जनता को जानकारी नही थी। साथ ही उनके द्वारा यह भी कहा गया किया कि आस–पास के जल श्रोत सूख रहें हैं व वन्य जीव अन्य स्थानों को पलायन कर रहें हैं।
3. **श्री नरेन्द्र सिंह महर, ग्राम–नैनी, द्वारा** कहा गया कि हवाई पट्टी के निमार्ण के समय स्थानीय प्रषासन के साथ लिखित अनुबन्ध हुआ था कि जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार में वरीयता दी जायेगी। श्री महर ने इस बात पर जोर दिया कि हवाई अड्डे में स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाय।

कमश–2

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

4. **श्रीमती प्रेमा बम, समाजसेविका, ग्राम–देवत,** द्वारा कहा गया कि नैनी–सैनी व आस–पास के गांव के लोगो ने 73 एकड जमीन रक्षा विभाग को और शेष जमीन हवाई अड्डे को दी जा चुकी है, जिस कारण स्थानीय लोगों को रोजी–रोटी का संकट पैदा हो गया है। उनके द्वारा सुझाव दिया गया कि एम.ई.एस., डी.आर.डी.ओ., व आई.टी.बी.पी. जैसे विभागों में प्रभावित परिवारों में से प्रति परिवार एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाय।
5. **श्री दिवान सिंह भण्डारी, ग्राम–कनारी** द्वारा कहा गया कि हवाई पट्टी हेतु अधिग्रहित जमीन का स्थानीय लोगों को पूरा मुआवजा नहीं दिया गया। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि हवाई पट्टी के पास जल श्रोतों को सुरक्षित रखा जाय व हवाई पट्टी के अन्दर से ग्रामीणों के आवागमन हेतु मार्ग दिया जाय। उनके द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि प्रभावित लोगों को लघु उद्योगों हेतु बैंकों से लोन दिया जाय व उसमें ब्याज न लिया जाय।
6. **श्री दिवान सिंह खडायत, ग्राम–ओडमाथ्था,** द्वारा कहा गया कि पूर्व में प्रशासन द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु कहा गया था, परन्तु स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया। उनके द्वारा कहा गया कि यदि स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं दिया गया तो उनके द्वारा मा0 न्यायालय की शरण लेने को कहा गया।
7. **श्री मनीराम आर्य, ग्रम–ओडमत्ता, द्वारा** कहा गया कि 1987 में हवाई अड्डे के लिए अधिकृत जमीन का पूर्ण भुगतान नहीं किया गया। उनके द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने पर जोर दिया गया।
8. **श्री प्रेम सिंह कन्याल, ग्राम–कनारी,** द्वारा कहा गया कि ग्राम–कनारी का मुख्य सडक से जोडा जाय।
9. **श्री कुन्दन सिंह मेहर, ग्राम–प्रधान, नैनी–सैनी द्वारा** सभी लोक सुनवाई में उपस्थित समस्त अधिकारीगण व जनता का आभार व्यक्त किया गया। उनके द्वारा भी जमीन के बदले पुर्नवास की मांग की गयी व हवाई पट्टी के बीच से ग्रामीणों के आवागमन के लिए रास्ता उपलब्ध कराने पर जोर दिया। साथ ही उनके द्वारा अवगत कराया गया कि हवाई अड्डे का निर्माण होने के कारण नैनी–सैनी क्षेत्र की उत्पादक क्षमता कम हो गयी है।

उपरोक्त सुझावो के अतिरिक्त ग्रम प्रधान, नैनी–सैनी से एक लिखित प्रत्यावेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें इनके द्वारा निम्न सुझाव दिये गये–

1. हवाई पट्टी से प्रभावित क्षेत्र के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को अनिवार्यता रोजगार दिया जाय।
2. प्रभावित क्षेत्र के ग्रमिणों को पुनर्वास सुविधा दी जाय।
3. ग्रमीणों को आवागमन के लिए रास्ते उपलब्ध कराये जाय।
4. ग्रम–सैनी में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण किया जाय।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा, अपर जिलाधिकारी की अनुमति से लोक सुनवाई को समापन अपरह्न 2.30 मिनट पर किया गया। पूरी लोक सुनवाई के दौरान निरन्तर फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की गयी। अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थिति सभी लोगों आभार व्यक्त किया गया।

(एस.एस.चौहान)
वैज्ञानिक सहायक
यू.ई.पी.पी.सी.बी.,हल्द्वानी।

(पी.के.जोशी)
क्षेत्रीय अधिकारी (प्र0)
यू.ई.पी.पी.सी.बी.,हल्द्वानी।

(बी.एस.राणा)
अपर जिलाधिकारी, पिथौरागढ।

This document was created using SOLID CONVERTER PDF
To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com